राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ. 1(1)(3) आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2012/ 7497-508 जयपुर, दिनांक 31.5.

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर,
नागौर, झुझुनूं, जोधपुर, चूरू, राजसमंद,
पाली, जैसलमेर एवं सीकर, राजस्थान।

विषयः—अभाव संवत् 2069 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में संचालित राहत गतिविधियों की समयावधि बढाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में संचालित राहत गतिविधियां पेयजल परिवहन, चारा परिवहन तथा गौशाला/पशु शिविर संचालन करने, अनुदानित दर पर पशु आहार अनुदान उपलब्ध कराने एवं अनुग्रह सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डों में प्रथमतः 30 दिवस की अवधि निर्धारित है जिसे प्रथम बार में 60 दिवस तथा भीषण अकाल की स्थिति में अधिकतम 90 दिन तक बढाया जाने का प्रावधान है।

अनुग्रह सहायताः— भारत सरकार के नोर्म्स दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के बिन्दु संख्या 1 (ड़) में अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति (एस.ई.सी.) और केन्द्रीय टीम (एन.डी.आर.एफ. के मामले में) द्वारा किय गये आंकलन के अनुसार होगी। सहायता की चूक अवधि 30 दिन की होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पहले 60 दिन और तद्नन्तर सूखा/कीट हमले के मामले में 90 दिन तक बढाया जा सकता है।

पेयजल परिवहनः—एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के बिन्दु संख्या 3 (ग) में एस.ई.सी. द्वारा आवश्यकता के आंकलन और केन्द्रीय टीम (एन.डी.आर.एफ. के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर वास्तवितक लागत के अनुसार 30 दिन की अवधि के लिए जिसे सूखे के मामले में 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है।

गौशाला/पशु शिविर संचालनः—एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के बिन्दु संख्या 6 (II) और (III) में राहत मुहैया कराने की अवधि एस.ई.सी. द्वारा आवश्यकता आंकलन और केन्द्रीय टीम (एन.डी.आर.एफ. के मामले में) की सिफारिश के आधार पर होगी। सहायता की चूक अवधि 30 दिन तक होगी, जिसे पहली बार में 60 दिन तक तथा भीषण सूखा की स्थिति में 90 दिन तक बढाया जा सकता है।

राज्य में अकाल की स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष एसईसी के द्वारा निर्णय लिये जाने पर सम्वत 2069 में अनुग्रह सहायता, पेयजल परिवहन एवं गौशाला/पशु शिविर राहत गतिविधियों के संचालन हेतु अवधि को 30 दिवस से बढ़ाकर 60 दिवस करने का निर्णय लिया गया है।

अतः कृपया इस बढ़ी हुई अवधि के लिए राहत गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करावें तथा इस हेतु आवश्यक अतिरिक्त बजट की मांग On line प्रस्तुत करें।

भवदीय

31/8/2012

संयुक्त शासन सचिव